त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून-248001
फोन : 0135-2755177 (का.)
0135-2650433
फैक्स : 0135-2712827

अर्द्ध शा0प0सं0: 243/नि.स.-मु.मं0/2017
दिनांक: 18 जुलाई, 2017

आदरणीय मंत्री जी,

आप अवगत हैं कि भारत की संसद द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 पारित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आपके मंत्रालय द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2017 का आलेख दिनांक 24 मई, 2017 को राज्यों को प्रेषित किया गया है। इस ड्राफ्ट नियमावली के विषय में कतिपय अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ।

1. ड्राफ्ट नियमावली के बिन्दु सं 3 में ऐसे विभिन्न गतिविधियों की सूची चिन्हित की गयी है, जिनका वित्त पोषण कैम्पा योजना के अन्तर्गत NPV मद से किया जा सकता है, परन्तु इस सूची में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, जो सम्मिलित नहीं की गयी हैं, यथा-

   क. भूमि एवं जल संरक्षण कार्य।
   ख. भू-स्खलन हेतु संवेदनशील क्षेत्रों का उपचार।
   ग. मानव वन्य जीव संघर्ष का न्यूनीकरण एवं निराकरण।
   घ. वानिकी एवं वन्य जीव विषयक शोध।
   ड. वन एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में आपदा प्रबन्धन।

   मेरे विचार में उत्तराखण्ड जैसे युवा पर्वतीय राज्य के लिये उपरोक्त गतिविधियां अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं तथा इन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की सूची में स्थान दिये जाने की आवश्यकता है।

2. ड्राफ्ट नियमावली में इको पर्यटन को स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों में सम्मिलित नहीं किया गया है। उत्तराखण्ड जैसे राज्य में, जहॉ 70 प्रतिशत से अधिक भू-भाग वन क्षेत्र है, वन आधारित इको पर्यटन स्थानीय रोजगार का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। इसे प्रेरित करने से नियंत्रित एवं सतत् पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा साथ ही स्थानीय समुदायों का वन संरक्षण के साथ जुड़ाव और प्रगाढ़ होगा। ऐसे में यह उचित होगा कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय तथा वन बाहुल्य राज्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कैम्पा मद में से कुछ अंश व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाय।
3. NPV मद से वाहनों के क्रय, आवासीय एवं कार्यालय भवन तथा फर्नीचर, ऑफिस उपकरण इत्यादि पर व्यय निषिद्ध किया गया है। आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड की

वन सम्पदा को बनाये एवं बचाये रखने तथा उनके संवर्द्धन में भारी संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति करने में राज्य को कठिनाई होती है। ऐसे में यह उचित होगा कि उपरोक्त मदों में राज्यों को कम से कम एक सीमित मात्रा में व्यय करने की अनुमति दी जाय, जिससे वन एवं वन सम्पदा की सुरक्षा तथा वैज्ञानिक प्रबन्धन यथोचित रूप से सुनिश्चित किया जा सके। यहॉ पर यह भी सुझाव है कि यदि NPV मद से इन मदों पर व्यय करने में कोई कठिनाई हो तो इन्हें राज्य कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से व्यय करने पर विचार करने का कष्ट करें।

4. राष्ट्रीय स्तर पर गठित प्राधिकरण को राज्यों द्वारा अर्जित कैम्पा मद की धनराशि का 10 प्रतिशत अपने विभिन्न व्ययों के लिये रखे जाने का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि से केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को भी संचालित किये जाने का प्रावधान है (कैम्पा अधिनियम 2017 की धारा 5 "ब")। उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में यह धनराशि लगभग रू 190 करोड़ है। मेरा सुझाव है कि इस धनराशि से जो परियोजनायें स्वीकृत की जाय वे उन्ही राज्यों में कियान्वित हों जहॉ से यह धनराशि प्राप्त की गयी हो।
5. कैम्पा अधिनियम 2016 की धारा 6 "एफ" में यह प्रावधान है कि राज्य कैम्पा प्राधिकरण के प्रबन्धन से सम्बन्धित आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय, जिसमें उसके अधिकारियों एवं अन्य स्टाफ के वेतन व भत्ते भी सम्मिलित हैं, का भुगतान राज्य स्तर पर उपलब्ध कैम्पा की धनराशि पर अर्जित ब्याज के एक अंश से की जायेगी, परन्तु नियमावली के अन्तर्गत यह प्राविधान प्रस्तावित है कि कैम्पा के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान इस मद से नहीं किया जायेगा। इस प्रकार यह प्रस्तावित नियम प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की भावना के विपरीत प्रतीत होता है। जो अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णकालिक रूप से राज्य में कैम्पा योजना के कियान्वयन में कार्यरत हैं, उनके समस्त वेतन एवं सुसंगत भत्तों का भुगतान पूर्व के अनुसार इस निधि पर अर्जित ब्याज से किया जाये।
6. मेरे विचार में इस परियोजना के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना की रूपरेखा, जो ड्राफ्ट नियमावली में प्रस्तावित है, अत्यन्त विस्तृत एवं जटिल प्रतीत होती है एवं इसे सरलीकृत किये जाने की आवश्यकता है। जनपदवार जिस प्रकार का विस्तृत विवरण कार्ययोजना के साथ अपेक्षित है उसे संकलित करने में न केवल संसाधनों का, विशेष रूप से समय का व्यय होगा, अपितु उस प्रकार की विस्तृत जानकारी वार्षिक कार्ययोजना पर निर्णय लेने हेतु अपेक्षित नहीं है। वैसे भी उत्तराखण्ड में वन विभाग की प्रशासनिक इकाईयों की संरचना जल ग्राह्य क्षेत्र के अनुसार है, न कि जनपदवार।
7. वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य को स्थल के साथ प्रस्तावित किया जाना है। यह विचारणीय है कि उत्तराखण्ड जैसे राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किन्हीं आकस्मिक तथा अपरिहार्य परिस्थितियों के फलस्वरूप यदि इन स्थानों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो ऐसा करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होना चाहिए।

अंत में, मैं पुनः आपसे अनुरोध करूँगा कि प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत प्रस्तावित नियमों को यथासम्भव सरलीकृत किया जाय तथा इसमें राज्यों को अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यों के विषय में निर्णय लेने का पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया जाय। मेरा विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके मार्गदर्शन से प्रतिपूरक वनीकरण निधि का उपयोग उसके मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा जन–आकांक्षाओं के अनुरूप करने में सहायता मिलेगी।

भवदीय

(त्रिवेन्द्र सिंह रावत)

डॉ. हर्षवर्धन,
मा. मंत्री,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
इन्दिरा पर्यावरण भवन,
जोरबाग, नई दिल्ली 110003.